

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1360-एक/2013 विरुद्ध आदेश दिनांक 11-2-2013 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी जावद जिला नीमच के प्रकरण क्रमांक 6/अप्रैल/2010-11

.....
1—नाथूलाल पिता टिलारामजी
2—किशनलाल पिता टिलारामजी
निवासी गण ग्राम आलोरी गरवाड़ा तहसील सिंगोली,
जिला नीमच आवेदकगण

विरुद्ध

1—लक्ष्मण पिता स्व०लक्खा
2—शंकरलाल पिता स्व०लक्खा
निवासी गण ग्राम आलोरी गरवाड़ा तहसील सिंगोली,
जिला नीमच
3—मध्यप्रदेश शासन अनावेदकगण

.....
श्री के०सी०बंसल, अभिभाषक—आवेदकगण

श्री कैलाश जोशी, अभिभाषक—अनावेदकगण

:: आदेश ::

(आज दिनांक १०/११/१६ को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल “संहिता” कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी जावद जिला नीमच द्वारा पारित आदेश दिनांक 11-02-2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार के आदेश दिनांक 22-5-2003 के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अप्रैल दिनांक 8-11-10 को लगभग 7 वर्ष के विलम्ब से प्रस्तुत की गई। चूंकि अप्रैल अवधि बाह्य प्रस्तुत की गई थी, इसलिये विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की

धारा 5 का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 11-2-13 को अंतरिम आदेश पारित कर अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रतिदिन के विलम्ब का कारण नहीं दर्शाया गया है। यह भी कहा गया कि अनावेदकगण को ग्राम पीपलीखेड़ा में पृथक से भूमि प्राप्त हो गयी है और उन्हें तहसील न्यायालय के आदेश की जानकारी प्रारंभ से रही है और इस स्थिति पर बिना विचार किये विलम्ब क्षमा करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधि एवं न्याय की गंभीर भूल की गई है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि शंकरलाल ने तहसील न्यायालय में आवेदन पत्र व शपथपत्र प्रस्तुत कर दर्शाया है कि उसे तहसील न्यायालय के आदेश की जानकारी प्रारंभ से रही है। इस स्थिति पर भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है। उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष विलम्ब का समाधानकारक कारण दर्शाया गया है, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रचलित प्रकरण को लंबित रखने के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के आदेश के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत की गई है, जबकि उन्हें प्रकरण का गुणदोष पर निराकरण कराकर उसपर कार्यवाही करना थी। उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा अनावेदक क्रमांक 1 व 2 को बिना सूचना दिये उनके पीठ-पीछे आदेश पारित किया गया है, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार करते हुये अपील को समय सीमा में मान्य करने में पूर्णतः न्यायिक कार्यवाही की गई है। आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा इस न्यायालय में यह नहीं बतलाया जा सका है कि अनावेदक क्रमांक 1 व 2 को तहसील न्यायालय के आदेश की जानकारी आदेश दिनांक से रही है। दर्शित परिस्थितियों में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी जावद जिला नीमच द्वारा पारित आदेश दिनांक 11-02-2013 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

7/ यह आदेश प्रकरण क्रमांक निगरानी 1361—एक / 2013 पर भी लागू होगा। अतः इस आदेश की एक प्रति उक्त प्रकरण में संलग्न की जाये।



(मनोज गोस्वामी)

अध्यक्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर